प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 21/12/23 को पेश हो [signature]	
21/12/23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16/1/24 को पेश हो [signature]	
16/1/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनु. । बहस हेतु अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 31/1/24 को पेश हो। [signature]	[signature] अहलकार
31/1/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनु. । बहस हेतु अवसर दिया पत्रावली वास्ते बहस दि. 6/3/24 को पेश हो।	
6/3/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. । बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/3/24 को पेश हो।	[signature] अहलकार
18/3/24	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई वकील वादी उप. । वाद वादी खारिज किया जाकर निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी सिंह (R.A.S.)

मिसल नं0 11/दावा/2012(2012/00001)	तारीख दायर 06.01.2012	तारीख फैसला 18.03.2024

जगदीश प्रसाद माहेश्वरी आयु 47 साल आत्मज श्रीनाथ जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील बून्दी हाल निवासी म.नं. 5 दशहरा मैदान स्कीम, शक्तिनगर, कोटा (राज.)

......वादी

बनाम

1. श्रीनाथ आयु 78 साल आत्मज रामकिशन जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील बून्दी हाल निवासी दशहरा मैदान स्कीम म.नं. 5 शक्तिनगर , कोटा(राज0)
2. श्रीमति ललिता बाई आयु 65 साल पुत्री श्री रामकिशन जी पत्नि श्री बृजमोहन जी झंवर जाति महाजन निवासी 1 सी 51 महावीर नगर विस्तार योजना सेक्टर –1 कोटा(राज0)
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीगणः– श्री राजकुमार गौतम
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः–

– : : निर्णय : : –

इस न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट के तहत वादी द्वारा पेश किया है। वाद पत्र के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2160 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है जो पूर्व में रामकिशन वल्द गोविन्दलाल जाति महाजन निवासी देहित के खाते दर्ज थी। रामकिशन जी का दिनांक 17.5.1990 को देहान्त हो गया है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 रामकिशन जी के पुत्र व पुत्री है। रामकिशन जी की पत्नि का पहले ही देहान्त हो गया है। विवादित आराजी स्वर्गीय श्री रामकिशन आ0 गोविन्दलाल जी की स्वअर्जित भूमि है जिसे रामकिशन जी द्वारा राज्य सरकार से आवंटित करवायी थी। रामकिशन जी के एक पुत्र श्रीनाथ एवं दो पुत्रियॉं ललिता एवं स्वर्गीय श्रीमति गीता थी। तीनो सन्तानो के विवाह उपरान्त रामकिशन जी की पुत्री गीता का देहान्त हो गया है। रामकिशन जी के पुत्र श्रीनाथ जी जिला गुना मध्यप्रदेश में अध्यापक का कार्य करते थे एवं पुत्री ललिता ससूराल में थी रामकिशन जी की वृद्धावस्था में रामकिशन जी वादी के पास ही रहते थे एवं बिमारी में देखभाल करता था, सेवासुश्रा करता था, जमीन पर काश्तकारी की व्यवस्था करता था और रामकिशन जी के साथ दुकान पर बैठकर व्यवसाय करता था। रामकिशन जी अपने पौत्र जगदीश की सेवा सुश्रा से प्रसन्न होकर विवादीत आराजी, सती चबुतरा कोटा स्थित दुकान एवं ग्राम देहित स्थित मकान सहित सम्पूर्ण चल अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 29.6.1988 को गवाहन के समक्ष निष्पादित करके अपने हस्ताक्षर कर दिये और इस वसीयत को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया जिसके आधार पर रामकिशन जी की सम्पूर्ण चल अचल सम्पति पर रामकिशन जी की मृत्यु उपरान्त वादी का वैधानिक अधिकार है। रामकिशन जी के जीवनकाल से अभी तक निरन्तर वाद विषयक कृषि भूमि पर स्वतन्त्र रूप से अकेला काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादी को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना वाद विषयक कृषि भूमि को नामान्तकरण द्वारा अपने खाते अंकित करवा लिया है, जबकि वसीयत दिनांक 29.6.1988 के अनुसार वाद विषयक कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार वादी है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाये तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि वे वादग्रस्त भूमि को रहन बेचान एवं भारग्रस्त नही करे तथा वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे। दिनांक 13.12.2011 को प्रतिवादी ललिता ने वादी को कहा कि वह खाते में नाम होने के आधार पर जमीन को रहन बेचान अथवा भारग्रस्त कर देगी और कब्जा कर लेगी। ललिता बाई द्वारा ऐसा किया जाता है तो वादी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। अतः विवादीत आराजी ख0सं0 2160 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम देहित को वादी के खातेदारी की घोषणा की जाकर राजस्व अभिलेख में वादी का नाम खातेदार के स्थान पर अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम विलोपित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को रहन बेचान अथवा भारग्रस्त नही करे ना ही कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वाद पत्र के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब दावा दिनांक 14.03.2012 को पेश कर वाद पत्र की चरण सं. 1 लगायत 4 स्वीकार की गई, वाद पत्र की चरण सं0 5 व 6 कानूनी होना अंकित किया गया। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वाद पत्र की प्रार्थना स्वीकार कर वाद पत्र को डिक्री किये जाने में सहमति अंकित की गई। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा दिनांक 29.01.2014 को जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित भूमि स्वर्गीय रामकिशन जी की स्वअर्जित होना अस्वीकार है।

करना अस्वीकार है। वैसे वादी व प्रतिवादी क0सं0 1 पिता पुत्र है जो सयुंक्त रूप से एक ही मकान में कर रहे है। जिन्होने मिलीभगत कर कोई पिताजी की फर्जी वसीयत प्रतिवादिनी को भूमि से व सम्पति से त करने के उदेश्य से बना ली हो ओर उस पर प्रतिवादिनी के पिता के फर्जी हस्ताक्षर कर दिये हो तो वह सीयत फर्जी है इसी कारण वादी ने उक्त वसीयत के आधार पर भूमि का इन्तकाल नही खुलवाया। श्री रामकिशन जी अपने स्वर्गवास के दो ढाई वर्ष पूर्व से ही काफी बीमार रहते थे। उन्हे देखने, समझने, सोचने की शक्तिक्षीण हो चुकी थी। उस असहाय अवस्था में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने मिलीभगत कर कपटपूर्वक श्री रामकिशन जी से कोई वसीयत करवा ली हो तो वह शून्य प्रभावी है। वाद प्रस्तुती से पूर्व सन् 2011 के मध्य तक वादी के पिता प्रतिवादी नं. 1 व 2 उक्त भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करवाते थे और फसल की राशि प्रतिवादी नं0 1 वादी के सामने ही प्रतिवादी नं0 2 को देता था। यह कम श्री रामकिशन जी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त समय तक चलता रहा। लेकिन वर्ष 2011 के मध्य के बाद वादी व प्रतिवादी नं0 1 के मन में प्रतिवादी सं0 2 को जमीन से वंचित करने का भारी लोभ एवं बदनियती आ गई और उन्होने प्रतिवादी सं0 2 को फसल मुनाफा का हिस्सा देना बन्द कर दिया और वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि में प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/2 -1/2 हिस्से के राह खातेदार है। प्रतिवादिनी भूमि का विधिवत रूप से बटवारा करवाकर अपने हिस्से में आने वाली भूमि को अपने खाते में अनन्य रूप से अंकित करवाने एवं अपने हिस्से में आने वाली भूमि को अपने कब्जे में लेने की अधिकारी है। वाद पत्र की चरण सं0 3 अस्वीकार करते हुए अंकित किया कि नामान्तकरण वादी की मौजूदगी में व उसके ज्ञान मे तस्दीक किया गया है। ओर स्वयं वादी ने ही प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में खुलवाया है नामान्तकरण के समय तक तथाकथित वसीयत अस्तित्व में ही नही थी। अन्यथा वादी उक्त वसीयत के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण अवश्य खुलवाता। वाद पत्र की चरण सं0 4 व 5 को अस्वीकार किया गया एवं वाद पत्र की चरण सं0 6 तकमीली होना अंकित किया। वाद पत्र का प्रत्युतर के साथ ही प्रतिवादी सं0 2 द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया जिसके अनुसार विवादित कृषि भूमि ख0सं0 2160 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील तालेडा के प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 सह खातेदार है और इसी हेसियत से उक्त भूमि को वादी की ज्ञान में प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से काश्त करते रहे और सन् 2011 के मध्य तक श्री रामकिशन जी के स्वर्गवास के पश्चात से ही प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 को उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का मुनाफा देता रहा। अब प्रतिवादी सं0 1 व वादी के मन में उक्त भूमि को हडपने का लोभ आ गया है और उक्त भूमि का मुनाफा सन् 2011 के मध्य से देना बंद कर दिया और वाद प्रस्तुत कर दिया। प्रतिवादी सं0 2 को उक्त भूमि का बटवारा करवाकर अपने हिस्से में आने वाली भूमि को अनन्य रूप से अपने खाते में अंकित करवाने का ओर उस भूमि पर काबिज होने का अधिकार प्राप्त है । अतः प्रतिवादी सं0 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का बटवारा किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 2 के अनन्य रूप से खाते अंकित की जावे और उस हिस्से पर वादी को काबिज करवाया जावे।

प्रतिवादी सं0 3 व 4 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र की चरण सं0 1 को स्वीकार किया गया वाद पत्र की चरण सं0 2 लगायत 4 को अस्वीकार किया गया वाद पत्र की चरण सं0 5 व 6 कानूनी होना अंकित करते हुए अंकित किया कि यदि कोई नामान्तकरण हुआ है तो उस नामान्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में करनी चाहिए थी ।

प्रतिवादी सं0 2 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का वादी ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि कृषि भूमि ख0सं0 2160 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा स्वर्गीय श्री रामकिशन आ0 श्री गोविन्दलाल महाजन नि0 देहित ने राज्य सरकार से निलामी बोली में खरीदकर पटटा प्राप्त किया था। दिनांक 1.3.45 को डिप्टी कमिश्नर पाटन राज बून्दी द्वारा एक पटटा स्व0 रामकिशन के नाम मिसल सं0 437 इन्तजामी तारीख 2.2.44 में यह पटटा जारी किया गया था। तत्समय वाद विषयक भूमि का खसरा सं0 963 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा एवं ख0सं0 1021 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल 11 बीघा 5 बिस्वा था। इस प्रकार उक्त भूमि रामकिशन जी की स्वअर्जित सम्पति थी। जिसे उन्होने वसीयतनामा दिनांक 29.6.88 द्वारा वादी जगदीश प्रसाद को वसीयत कर दिया था। रामकिशन जी के स्वर्गवास के पश्चात इस कृषि भूमि पर वादी बहैसियत वैधानिक खातेदार निरन्तर काबिज कास्त चला आ रहा है। फोती नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया गया जो अवैध है और उसके आधार पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 को वाद विषयक कृषि भूमि में कोई वैधानिक स्वत्व प्राप्त नही होता है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिसकल नेचर की है, जिसके आधार पर किसी अधिकार का निर्णय नही किया जा सकता है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 को भूमि का मुनाफा देने का तथ्य भी असत्य होने से अस्वीकार है वाद भूमि पर एकमात्र वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। काउन्टर क्लेम की चरण सं0 2 अस्वीकार है। काउन्टर क्लेम की चरण सं0 3 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रतिवादी सं0 2 वैधानिक खातेदार नही होने से बटवारा करवाने की अधिकारी नही है। काउन्टर क्लेम स्वीकार नही है।

उक्तानुसार जवाब प्राप्त हो जाने के उपरान्त पत्रावली में निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादी विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार स्वयं का नाम अंकन करवाने एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम विलोपित करवाने का अधिकारी है। वादी
2. आया वादी विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। वादी
3. आया प्रति0 सं0 2 विवादित आराजी का बटवारा करवाकर 1/2 हिस्से की आराजी को स्वयं के नाम खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 2
4. अनुतोष ।

वादी की ओर से नकल जमाबन्दी खाता सं0 566 संवत 2064–67 वाके ग्राम देहित प्रदर्श–1 , नकल जमाबन्दी खाता सं0 350 संवत 2048–57 वाके ग्राम देहित प्रदर्श–2, पटट्ा मिसल सं0 437 दिनांक 02.02.1944 प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र रामकिशन आ0 गोविन्दलाल प्रदर्श–4, वसीयत नामा रामकिशन आ0 गोविन्दलाल प्रदर्श–5, मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 से 46 वाके ग्राम देहित प्रदर्श–6, अलोटमेन्द सूची ग्राम देहित प्रदर्श–7 प्रस्तुत की गई तथा वादी द्वारा स्वयं के PW-1 एवं गवाह सत्यप्रकाश शारदा PW-2 , नरेश राजोरा PW-3 के बयान करवाये गये।

बहस वकील वादी एवं पेरोकार सुनी गई।

वादी वकील द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि घोषणा के वाद की कोई समय सीमा तय नहीं है णा का वाद कभी भी लाया जा सकता है। जहां तक नामा0 का सवाल है वह फिरकल एन्ट्री है। वादी के हक में ी नोटेरी दस्तावेज है वह केन्सिल नहीं हो तब तक अधिकार खारिज नहीं हो सकता है एवं वादी के दादा रामकिशन जी द्वारा वादी की सेवा सुश्रा से खुश होकर उसके पक्ष में अपनी सम्पूर्ण सम्पति को जर्ये वसीयत उसे दी है ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त भूमि जिस पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा अवैध रूप से नामान्तकरण दर्ज करवाकर भूमि अपने नाम करवा ली गई है। जिस पर से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम विलोपित किया जाकर वादी के पक्ष में घोषणा की जावे।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस अपने जवाब को दोहराते हुए कहा कि यदि कोई नामान्तकरण हुआ है तो उस नामान्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में करनी चाहिए थी । अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

1. आया वादी विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार स्वयं का नाम अंकन करवाने एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम विलोपित करवाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी खाता सं0 566 सवंत 2064-67 वाके ग्राम देहित प्रदर्श-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के खातेदार श्रीनाथ वल्द रामकिशन व मु0 ललीता पुत्री रामकिशन कोम महाजन अंकित है। प्रस्तुत जमाबन्दी खाता सं0 350 संवत 2048-57 प्रदर्श-2 में श्री रामकिशन वल्द गोविन्दलाल कोम महाजन के स्थान पर जर्ये नामान्तकरण सं0 808 से से श्रीनाथ वल्द रामकिशन व ललीलाबाई पुत्री रामकिशन का नाम दर्ज होना स्पष्ट है। साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-3 पट्टा डिप्टी कमि0 पाटन मिसल सं0 437 दिनांक 2.2.1944 पेश किया। वादी द्वारा श्री रामकिशन आ0 गोविन्दलाल की मृत्यु का प्रमाण मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 12.7.1990 प्रदर्श-4 प्रस्तुत किया । जहां तक वादी का प्रश्न है तो उनके द्वारा वसीयत नामा दिनांक 29.06.1988 प्रदर्श-5 के आधार पर यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 से 46 वाके ग्राम देहित प्रदर्श-6 व अलोटमेन्ट सूची ग्राम देहित प्रदर्श-7 पेश किया जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि वर्तमान खसरा सं0 2160 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा रामकिशन वल्द गोविन्दलाल महाजन को आवंटित हुई थी जिसके तत्समय ख0 सं0 1339/2 रकबा 8.03 बीघा एवं ख0सं0 1394 रकबा 3.02 बीघा कुल 11 बीघा 10 बिस्वा थे। जिनका वर्तमान ख0 नं0 2160 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा बना। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत नामा प्रदर्श-5 एवं बयान स्वयं वादी PW-1 एवं गवाह सत्यप्रकाश शारदा PW-2, नरेश राजोरा PW-3 का अवलोकन किया गया। दौराने वसीयत श्री रामकिशन वल्द गोविन्दलाल स्वस्थचित होना वादी एवं गवाहन ने अपने बयानो में अंकित किया है । दस्तावेज प्रदर्श-4 मृत्यु प्रमाण पत्र एवं जमाबन्दी संवत 2048-57 खाता सं0 350 वाके ग्राम देहित का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि श्री रामकिशन जी की मृत्यु दिनांक 17.5.90 को हुई एवं सवंत 2048-57 की जमाबन्दी में जर्ये नामान्तकरण सं. 808 से रामकिशन जी के पुत्र श्रीनाथ एवं पुत्री ललीता के नाम नामान्तकरण दर्ज हुआ । वादी द्वारा अपने वाद पत्र एवं बयानो में यह स्पष्ट अंकित किया है कि रामकिशन जी की वृद्धावस्था से ही वादी रामकिशन जी की कृषि भूमि पर काबिज कास्त था एवं दुकान इत्यादि भी उनके साथ रह कर सम्भालता था। रामकिशन जी द्वारा वसीयत 29.6. 1988 को वादी के नाम करवा दी गई एवं वादी के पास रहते हुए ही रामकिशन जी की मृत्यु 17.05.1990 को हुई। उक्त वसीयत एवं स्वयं के बयानो एवं वाद पत्र मे अंकित तथ्यो का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि यदि वादी द्वारा उक्त भूमि पर काबिज कास्त था, तो वादी द्वारा रामकिशन जी की मृत्यु के पश्चात फोती नामान्तकरण दर्ज करने के दौरान राजस्व कार्मिक को वसीयतनामा क्यो पेश नही किया गया क्योकि नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व राजस्व कार्मिक द्वारा मजमें आम में वारिसान की जानकारी कर के ही नामान्तकरण दर्ज किया जाता है। नामान्तकरण दर्ज होने के सम्बन्ध में वादी को जानकारी प्राप्त नही हुई तब भी वर्ष 1990 के पश्चात वर्ष 2011 तक वादी द्वारा नामान्तकरण को दुरूस्त करवाये जाने हेतु किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नही किया गया जबकि वादी को प्रथम दृष्टया फोती नामान्तकरण को सक्षम न्यायालय में वसीयत के आधार पर चेलेन्ज किया जाना था। किन्तु वादी द्वारा सीधे ही अधिकार घोषणा का वाद 2011 में न्यायालय में दायर किया गया। जो कि प्रतिवादी सं0 2 द्वारा अपने जवाब दावे में अंकित इस कथन की " नामान्तकरण वादी की मौजूदगी में व उसके ज्ञान में तस्दीक किया गया है और स्वयं वादी ने ही प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में खुलवाया है नामान्तकरण के समय तक तथाकथित वसीयत अस्तित्व में ही नही थी। अन्यथा वादी उक्त वसीयत के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण अवश्य खुलवाता " को प्रमाणिकता प्रदान करता है। यहाँ यह भी विचारणीय बिन्दु है कि संवत् 2048 से 2057 के मध्य दर्ज नामान्तकरण की जानकारी वादी को नही हुई हो क्योकि यदि वादी उक्त भूमि पर काबिज कास्त था तो वह अवश्य ही लगान पिलाई जमा करवाता होगा तो उसे खातेधारक का नाम याद ना हो। वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो एवं दस्तावेज का अवलोकन करने एवं प्रतिवादी सं0 2 का जवाब दावा एवं पेरोकार सरकार का जवाब दावा का अवलोकन करने से वादी यह प्रमाणित करने में सफल नही हुआ कि उक्त वाद वर्णित भूमि पर वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नही होकर फोती नामान्तकरण रामकिशन जी के वारिसान के नाम दर्ज किया गया एवं जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त भी फौती नामान्तकरण को निरस्त करने हेतु अपील क्यो नही की गई। अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2. आया वादी विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वादपत्र रामकिशन जी की अपने पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर पेश किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत प्रदर्श पाँच का अवलोकन करने पर वसीयत नोटेरी पब्लिक है। जोकि दिनांक 29.06.1988 को की गई थी एवं रामकिशन जी की मृत्यु दिनांक 17.05.1990 को हुई। वादी द्वारा वादपत्र के संबंध में नामांतरण दर्ज होने बाबत् जानकारी के रूप में प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत् 2048-2057 खाता संख्या 350 वाके ग्राम देहित पेश की गई जिसमें रामकिशन वल्द गोविन्दलाल के स्थान पर श्रीनाथ आत्मज रामकिशन व ललिता बाई पुत्री रामकिशन का नाम दर्ज करना जर्ये नामांतकरण 808 से होना प्रतीत होता है। वादी यह सिद्व करने में कि उक्त नामांतकरण बिना वादी की जानकारी के दर्ज हुआ है, को सफल नही

क्योंकि वादी द्वारा अपने वादपत्र में स्पष्ट अंकन किया है कि वादी के दादा रामकिशन जी वसीयत के दौरान मृत्यु के समय वादी के पास थे एवं उनकी वृद्धावस्था में सेवासुश्रा की व रामकिशन जी के जीवनकाल से ही दी उनकी संपति यथा मकान, दूकान व कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहा था ऐसी स्थिति में वादी द्वारा रामकिशन जी की मृत्यु के पश्चात वसीयत के आधार पर नियमानुसार नामांतकरण दर्ज करवाया जाना था किन्तु ऐसा नही हुआ एवं तत्समय रामकिशन जी का फोतीनामांतकरण उनके वारिसान पुत्र श्रीनाथ एवं पुत्री ललिता बाई के नाम दर्ज किया गया एवं तब से उक्त दोनो ही भूमि के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वसीयत प्राप्तकर्ता को जानकारी प्राप्त होने पर नामांतकण के विरूद्ध अपील की जानी थी किन्तु वादी द्वारा नोटेरी वसीयत होने के बावजूद भी ना तो तत्समय नामांतकरण के दौरान वसीयत को प्रभावी करने हेतु राजस्व अधिकारियों को अवगत कराया ना ही नामांतकरण के विरूद्ध अपील की गई। ऐसी स्थिति में खातेदार कृषक के विरूद्ध केवल वसीयत के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर खातेदार कृषक को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

3. आया प्रति0 सं0 2 विवादित आराजी का बटवारा करवाकर 1/2 हिस्से की आराजी को स्वयं के नाम खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 2

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र से यह सिद्व है कि प्रतिवादिनी संख्या 2 विवादित आराजी में बराबर हिस्से की रेकार्डड खातेदार है जोकि नकल जमाबन्दी खाता संख्या 566 वाके ग्राम देहित सम्वत् 2064-67 प्रदर्श-1 से भी प्रमाणित होता है। नकल जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 रिकॉर्डेड खातेदार होने से व विवादित आराजी में बंटवारा करवाकर 1/2 हिस्से की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. अनुतोष- वादी द्वारा वसीयत के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है,लेकिन उक्त वसीयत के आधार पर वादी द्वारा खातेदार कृषक रामकिशन वल्द गोविन्दलाल की मृत्यु के पश्चात वसीयत को प्रभावी करवाते हुए नामांतकरण दर्ज करवाया जाना था किन्तु वादी द्वारा उक्त वसीयत को तत्समय में प्रभाव में नहीं लाया गया ना ही दौराने नामांतकरण राजस्व कार्मिक को इस बाबत अवगत करवाया गया। जहां तक सवाल है कि वादी को नामांतकरण दर्ज होने की जानकारी नहीं थी। यह व्यवहारिक तौर पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि वादी उक्त भूमि पर यदि कृषि कर रहा है तो भूमि संबंधित लगान, पिलाई, भूमि सुधार हेतु ऋण एवं अन्य कार्यो हेतु भूमि के रिकॉर्ड की जानकारी होना सामान्य प्रकिया है। वादी द्वारा खातेदार रामकिशन की मृत्यु उपरान्त वसीयत के आधार पर नामान्तकरण बाद तहसीलदार जांच दर्ज करवाया जाना था परन्तु तत्समय विरासत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है। यदि वादी के पक्ष में वसीयत वादी के पास भी है तो यह Logical Conclusion बनता है कि वादी उस वसीयत के आधार पर ही नामान्तकरण दर्ज करवाता। प्रतिवादी सं0-2 द्वारा भी अपने जवाब के माध्यम से यह कहा गया है कि नामांतकरण वादी द्वारा ही खुलवाया गया था एवं तत्समय वसीयत अस्तित्व में ही नहीं थी। प्रतिवादी सं0-2 के उक्त कथन का वादी द्वारा कोई रिकॉर्डेड खण्डन नहीं किया गया। वादी द्वारा उक्त नामांतकरण की जानकारी होने पर नामांतकरण को निरस्त कर वसीयत के आधार पर दर्ज करवाये जाने हेतु अपील भी नही की गई। ऐसी स्थिति में वादी इस वसीयत के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

निर्णय

परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में किया गया दावा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य दस्तावेज एवं रेकार्ड के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है अतः वाद वादी खारिज किया जाता। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा